कार्यालय अध्यक्ष, राजकीय कला महाविद्यालय विकास समिति, सीकर

क्रमांक : 291 दिनांक : 12/6/24

खुली निविदा सूचना–01/2024–25

महाविद्यालय में दिनांक 31.03.2025 तक के लिए बोलीदाताओं/संवेदको से निम्न विवरणानुसार अकुशल/कुशल/ उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 22.06.2024 को दोपहर 1:00 बजे तक मोहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

विवरण	अनुमानित राशि	धरोहर राशि
सहायक कर्मचारी–02, सफाईकर्मी–2, चौकीदार –2, लैब बॉय–1, कम्प्यूटर ऑपरेटर –01, लिपिक – 01, बागवान– 01, पुस्तकालय लिपिक – 01	9.50 लाख	19000/–

निविदा फार्म राशि रुपये 500/– नकद/डिमांड ड्रॉफ्ट जमा करवाकर (जिसका प्रतिदाय/रिफण्ड नहीं होगा।) दिनांक 21.06.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म दिनांक 22.06.2024 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवाया जा सकता है। धरोहर राशि रुपये 19000/– का डिमांड ड्रॉफ्ट जो **अध्यक्ष, राजकीय कला महाविद्यालय विकास समिति, सीकर** के नाम देय हो बोलीदाताओं को फार्म के साथ जमा करवाना होगा। निविदा दिनांक 24.06.2024 को अपराह्न 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्ते किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में देखी जा सकती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित है।

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते http://sppp.rajasthan.gov.in तथा महाविद्यालय के वेबपेज https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcasikar से डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड की गई निविदा के साथ भी रुपये 500 निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि रुपये 19000/– का ड्रॉफ्ट संलग्न करना होगा। जिसका ~~UBN~~ NIB ECD2425A0022 है।

12.06.2024

(प्रो. सवाई सिंह)
अध्यक्ष
राजकीय कला महाविद्यालय
विकास समिति, सीकर

वितीय बिड (जी शैड्यूल)

सेवामें, अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.)

दिनांक :

निविदा हेतु प्रस्तावित दरें :–

कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मावन संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
कम्प्यूटर ऑपरेटर	उच्च कुशल – 01	8658/-		13%	3.25%		
प्रयोगशाला परिचारक	कुशल – 01	7358/-					
सहायक कर्मचारी	अकुशल – 02	6734/-					
चौकीदार	अकुशल – 02	6734/-					
सफाईकर्मी	अकुशल – 02	6734/-					
लिपिक	कुशल – 01	7358/-					
बगवान	कुशल – 01	7358/-					
पुस्तकालय लिपिक	कुशल – 01	7358/-					

उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 01 से 03, 05 एवं 06 की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध करवाई गई है तथा केवल स्तम्भ 4, 7 एवं 8 में प्रत्येक बोलीदाता द्वारा समुचित प्रवृष्टियों का अंकन कर दरें प्रस्तुत की जायेंगी।

निविदादाता अपनी दरे एक रूपये के गुणक में प्रस्तुत करें। उक्त दरें दशमलव या ऋणात्मक प्रस्तुत किये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

नोट :– संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST)राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी।

स्थान.........................

दिनांक......................

बोली दाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

ार्यालय अध्यक्ष राजकीय कला महाविद्यालय विकास समिति, सीकर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

खुली बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम :...
2. डाक का पता : ....
3. फोंन /मोबाईल नं0 ....
4. ई–मेल :– ....
   बैंक का नाम ....
   आईएफएस कोड़ :– ....
5. खाता संख्या :– ....
6. बोली प्रतिभूति राशि का डीडी क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....
7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जायेगा।
   तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी :–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)				
5.	आयकर (पेन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

8. मैं/हम अध्यक्ष राजकीय कला महाविद्यालय , सीकर द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक 01/2024–25 में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते/करता हूँ/ है।
9. संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत 03 वित्तीय वर्षों में केन्द्र /राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाऐं आदि में कम से कम 01 वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण स्वरुप प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रुप से लगानी होगी।
10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजो से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोली दाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

निविदा की शर्तें

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में होगा जिसमें प्रथम लिफाफे में तकनीकी निविदा, प्रतिभूति राशि की डी.डी. एवं पंजीयन प्रमाण–पत्रों प्रमाणित प्रति एवं समस्त नियम एवं शर्तों के हस्ताक्षरित पत्र तथा संलग्न एनेक्जर ए.बी.सी.डी. पूर्णतया हस्ताक्षर कर डालने है।
2. निविदा प्रपत्र के द्वितीय लिफाफे में केवल वित्तीय निविदा डाली जानी है।
3. प्रथम व द्वितीय लिफाफे पर क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा लिखना आवश्यक है।
4. **निविदादाता अपनी दरे एक रूपये के गुणक में प्रस्तुत करें। उक्त दरें दशमलव या ऋणात्मक प्रस्तुत किये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। एक से अधिक निविदादाताओं के द्वारा प्रस्तुत दरें समान होने पर अधिकतम अनुभव वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जावेगी।**
5. उक्त दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बन्द कर निर्धारित तिथि एवं समय पर संस्था में प्रस्तुत करने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
6. निर्धारित निविदा प्रतिभूति राशि एवं अन्य वांछित तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजो के अभाव में वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।
10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निविदा में जॉब कार्य हेतु दर्शाये गये श्रमिकों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकेगी। मांग पर 10 दिवस के भीतर वांछित योग्यता के श्रमिक उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
11. बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों को कभी भी अध्यक्ष द्वारा वापस भिजवाया जा सकेगा। मांग करने पर वांछित योग्यता का दूसरा श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे।
12. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की काट छाट नहीं होनी चाहिए।
13. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम, 2012 नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र , गाईडलाईन आदेश , निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि का भुगतान श्रमिक को अनिवार्य रूप से करना होगा।
15. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करवायी गई राशि के विवरण

बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
17. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जावेगा।
18. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
19. यदि संवदेक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
20. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रुप से प्रेषित की जायेगी।
21. बोलीदाता/संवेदक द्वारा राज्य सरकार के श्रम व अन्य विभागों द्वारा जारी नियमों/आदेशों एवं अन्य दायित्वों की पालना के लिए स्वंय उत्तरदायी होगी, यह संस्था स्वीकृत वित्तीय निविदा तक ही भुगतान करेगी। यदि कोई अन्य दायित्व होता है, तो उसके चुकारे के लिये बोलीदाता /संवेदक उत्तरदायी होगा।
22. निविदा प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार एवं शर्तों में शिथिलता प्रदान करने की शक्तियां अध्यक्ष में निहित है।
23. जॉब कार्य हेतु लगाये गये श्रर्मिकों को 8 घंटे संस्था में कार्य करना होगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

    A. **कम्प्यूटर ऑपरेटर** – संस्थान के कम्प्यूटर सम्बन्धी समस्त कार्य

    B. **सफाईकर्मी** – संस्थान भवन व परिसर तथा इसमें अवस्थित समस्त शौचालयों, बरामदों, कक्षा–कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं में झाडू लगाना, पौछा लगाना आदि समस्त सफाई के कार्य

    C. **सहायक कर्मचारी** – सहायक कर्मचारी से सम्बन्धित समस्त कार्य

    D. **चौकीदार** – सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य (दिन–रात)

    E. **लैब बॉय** – प्रयोगशाला सम्बन्धित समस्त कार्य

F. **लिपिक/पुस्तकालय लिपिक** – कार्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारी से संबंधित समस्त कार्य।

G. **बागवान**– महाविद्यालय परिसर में पेड़ पौधों की देखभाल संबंधित कार्य व अन्य कार्य।

24. सफल बोलीदाता के द्वारा स्वीकृत श्रमिकों के 09 माह के कुल पारिश्रमिक के 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवाते हुये 5 दिवस के भीतर नियमानुसार अनुबंध करना होगा। Small Scale Industries के रूप में पंजिकृत सेवा प्रदाताओं से तथा BIFR संस्था द्वारा घोषित Sick Industries धारित सेवा प्रदाताओं से नियमानुसार कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराने के पात्र होगें।
25. श्रम कानूनों द्वारा तय देय न्यूनतम राशि से कम की वित्तीय निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
26. सफल बोलीदाता के द्वारा समय पर वांछित योग्यता के आवश्यक श्रमिक उपलब्ध करवाने में असफल रहने पर बोलीदाता की रिस्क एवं कोस्ट पर अध्यक्ष द्वारा अन्य श्रर्मिकों से जॉब कार्य करवाया जा सकेगा। तथा इस पर स्वीकृत दर से अधिक होने वाले भुगतान की राशि बोलीदाता की जमा प्रतिभूति राशि से समायोजित कर ली जावेगी।
27. सफल बोलीदाता के द्वारा अनुबंध के बाद जॉब कार्य हेतु समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने पर नोटिस दिया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि को जब्त कर दिये गये आदेशों को निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिये सम्बन्धित बोलीदाता/संवेदक जिम्मेदार होगी।
28. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के दो माह के भीतर प्रतिभूति राशि वापिस लौटा दी जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
29. प्रतिभूति राशि को उपर्युक्त के अलावा निम्न स्थितियों में भी जब्त कर लिया जावेगा :–

    अ. जब बोलीदाता तकनीकी प्रस्ताव खोलने के पश्चात निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापिस लेता है अथवा उसमें उपान्तरण करता है।

    ब. जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाकर अनुबंध नहीं करता है।

    स. बोलीदाता/संवेदक श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है।

    द. बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध करवायें गये श्रमिकों राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप न्यूनतम मजदुरी का भुगतान करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ देना होगा एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र बिल पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

    य. बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को पूर्व माह के पारिश्रमिक का भुगतान कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह का भुगतान देय होगा।

    र. निविदा पत्र के साथ निविदा सूचना में वर्णित अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी।
30. जिस बोलीदाता/संवेदक की निविदा स्वीकृत की जायेगी। उन्हे राशि रुपये 47500/– अमानत राशि जमा करवानी होगी। निविदा दाता द्वारा पूर्व में जमा करवायी गयी राशि रुपये 19000/– बयाना राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।
31. अनुबंध की अवधि –अनुबंध पर दोनों पक्षों के समक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के दिवस से चालू वितीय वर्ष के अंत तक के लिये होगी। परन्तु विभाग अनुबंधकर्ता फर्म के कार्यसंपादन के अनुसार आपसी सहमति से इस अवधि को नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

32. प्रस्तावित दरों में सर्विस टैक्स सम्मिलित कर दरें दी जावें। सर्विस टैक्स सम्बन्धित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी बोलीदाता/संवेदक की ही होगी।
33. किसी प्रकार के विवाद की दशा में अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर का निर्णय मान्य होगा। अन्यथा समस्त मामलों में न्यायिक क्षेत्र सीकर होगा।
34. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने और बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर के पक्ष में सुरक्षित है।
35. तकनीकी बिड में बोलीदाता/संवेदक फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ।
36. बोलीदाता/संवेदक श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है।
37. बोलीदाता/संवेदक का पेन नम्बर एवं सेवाकर नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
38. बोलीदाता/संवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी राजकीय विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा काली सूची में नाम नहीं होना चाहिए। जिसका घोषणा–पत्र संलग्न करें तथा निविदा फार्म के साथ रुपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प संलग्न करें।
39. तकनीकी बिड में फर्म/संस्था समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही द्वितीय बिड वितीय निविदा खोली जायेगी।
40. बोलीदाता/संवेदक के द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिको से महाविद्यालय का किसी प्रकार का नुकसान होता है। तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता/संवेदक की होगी।
41. नियमों के संलग्न एनेक्जर ए.बी.सी.डी. हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होगें

उपर्युक्त शर्त संख्या 01 लगायत 41 तक को मैंने/हमने पढ़ लिया है तथा मै/ हम उक्त शर्तों पर सहमत है।

स्थान........................ बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक.................... नाम व पता

मैं/हम घोषणा करते है/करता हू कि मैं/हम जॉब कार्य हेतु मान्यता प्राप्त है/हू यदि घोषणा असत्य पायी जावे जो कोई भी कार्यवाही की जा सकती है/प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समहरण किया जा सकेगा/ निविदा को रद्द किया जा सकेगा।

स्थान........................ बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक.................... नाम व पता

12.06.2024

कार्यालय अध्यक्ष, राजकीय कला महाविद्यालय विकास समिति, सीकर

संस्थान के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, चौकीदार, सफाईकर्मी, प्रयोगशाला परिचारक एवं सहायक कर्मचारी के लिए निविदा ।

अनुमानित राशि – रुपये 09.50 लाख

धरोहर राशि – रुपये 0.190 लाख

प्रतिभूति राशि – 0.475 लाख

निविदा फार्म

खुली निविदा सूचना क्रमांक : 01/2024–25

क्र. सं.	विवरण	बोलीदाता से सम्बन्धित
1.	निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि व समय	21.06.2024, दोपहर 12:00 बजे
2.	निविदा जमा करवाने की अन्तिम तिथि व समय	22.06.2024, दोपहर बाद 01:00 बजे तक
3.	निविदा खोलने का दिनांक व समय	24.06.2024, दोपहर बाद 02:00 बजे
4.	धरोहर राशि जमा करवाने का विवरण	
5.	निविदा शुल्क	
6.	बोलीदाता का नाम व पता	
7.	पेन नम्बर	
8.	श्रम विभाग के पंजीयन क्रमांक	
9.	रजिस्ट्रार संस्थाएं के पंजीयन क्रमांक	
10.	अनुभव प्रमाण पत्र	

1. आदेश प्राप्त होने पर शर्तो के अनुसार वांछित योग्यताधारी श्रमिक उपलब्ध करवायें जायेगें।
2. जी सैड्यूल में दी गयी दरें दिनांक 31.03.2025 तक मान्य है इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।
3. धरोहर राशि जरिय बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक ....राशि रुपये . ... संलग्न है।
4. शर्तो के अनुसार समस्त पत्रादि संलग्न है।
5. मै/हम संस्थान द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक .... में वर्णित शर्तो तथा संलग्न प्रपत्र में दी गई निविदा शर्तो को स्वीकार करता हूँ/ करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

निविदा धारक/मनोनीत व्यक्ति का नाम व पता

नोट :– निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तो के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता के हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

//प्रमाण–पत्र//

रुपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से अटेस्टेड

मैं/हम अध्यक्ष, राजकीय कला महाविद्यालय, विकास समिति सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक : .... दिनांक : .... में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिनके समस्त पृष्ठों पर हमनें उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है।) मैं/हम दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई हैं। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने मेरे/हमारे विरूद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

मैं/हम अकुशल/कुशल/उच्च कुशल श्रमिक लेने हेतु आमांत्रित प्रस्ताव की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ /करते है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम व पता